मूल्य/धर्मार्थ : 1 पैसा
(केवल बहाईयों में वितरण हेतु)

बहाई समाचारपत्र

वर्ष : 55 अंक 9 प्रकाशन : प्रत्येक माह की 8 तारीख
सितम्बर 2019 बहाई वर्ष : 176

विश्व न्याय मन्दिर

जो लोग दिव्य योजना के अब तक के विस्तार के बारे में जरा रुककर मनन करते हैं उनके लिए इस बात की अनदेखी करना असंभव हो जाता है कि किस तरह ईश्वरीय शब्द की शक्ति एक के बाद एक देश में, एक के बाद एक समुदाय–समूह में, स्त्रियों और पुरुषों, बच्चों और युवाओं के हृदयों में उतर रही है।

–रिज़वान 2013

मध्यप्रदेश में आयोजित गतिविधियाँ

इन्दौर में सम्पन्न हुई बैठक में, परिषद एवं संस्थान मण्डल के संयुक्त परामर्श के दौरान 9 से 11 अगस्त–2019 को सुसेरा एवं ग्वालियर क्लस्टर में बैठक करने, साथ ही गांव के स्थानीय शिक्षक, अनुप्रेरक और कुछ अन्य बहाई मित्रों के घरों में भ्रमण करने का निर्णय लिया।

चक्कगांव : 9 अगस्त 2019 को परिषद एवं संस्थान मण्डल ने मिलकर चक्कगांव के स्थानीय नाभिक के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ ''50 से 100 किशोरों को किस प्रकार किशोर कार्यक्रम से जोड़ा जाये'' इस प्रपत्र का गहन अध्ययन किया। मित्रों को विकास कार्यक्रम एवं चार मूलभूत गतिविधियों के बारे में बतलाया गया, साथ ही उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई और अध्ययन को जारी रखा गया। मित्रों ने अपने गांव के किशोरों और बच्चों की वास्वतिकता के बारे में कई व्यावहारिक पहलुओं पर खुल कर परामर्श किया। साथ ही, गांव के युवाओं की व्यस्तता और उनकी क्षमताओं पर भी कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं को एक–दूसरे के साथ साझा किया।

अध्ययन के पहले दिन मित्रों ने चार टीम बनाकर गांव के 15 परिवारों में शाम के समय विजिट किया, जिसमें बच्चों, किशोरों और युवाओं को कार्यक्रम में शामिल होने पर खुलकर परामर्श किया गया, साथ ही जो शिक्षक वर्तमान में बच्चों की कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं उनके परिवारों में जाकर उनके माता–पिता के साथ उनके बच्चों द्वारा की जा रही समुदाय की महान सेवा के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनके माता–पिता बहुत प्रसन्न हुये।

बड़ापुरा (रामेश्वर का पुरा): स्थानीय नाभिक के प्रयास से रामेश्वर का पुरा पर 10 अगस्त 2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने, उनके द्वारा पूर्व में चलाई जा रही अध्ययन वृत्त कक्षा के प्रतिभागी उनके माता–पिता और कुछ अन्य मित्रों को आमंत्रित किया।

बैठक में नाभिक द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर परामर्श करते हुए समुदाय निर्माण की प्रक्रिया और मूलभूत गतिविधियों के बारे में चर्चा की और समुदाय में उनकी भूमिका के बारे में बात की। उसके बाद सभी मित्रों के साथ महात्मा बाब और बहाउल्लाह के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण किया गया और उनके द्वारा प्रदान किये गये सिद्धांत और महत्वपूर्ण नियम एवं सामाजिक शिक्षाओं पर खुल कर परामर्श किया गया, जिसमें समुदाय के मित्रों द्वारा बढ़चढ़ कर भाग लिया जा रहा था। चर्चाओं के दौरान सामाजिक बदलाव के

शेष पृष्ठ 4 पर



बड़ापुरा में आयोजित बैठक के प्रतिभागी

इस अंक में

- मध्यप्रदेश में आयोजित गतिविधियाँ 1
- बिहार में दो दिवसीय अन्तर्राज्यीय संस्थागत सम्मेलन सम्पन्न 1
- महाराष्ट्र में बाढ़ से तबाही सेवा में लिप्त बहाई 2
- झारखण्ड की गतिविधियाँ 3
- बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के संबंध में बहाउल्लाह का विधान 4

बिहार में दो दिवसीय अन्तर्राज्यीय संस्थागत सम्मेलन सम्पन्न

विश्व न्याय मंदिर के सदस्य श्री प्रवीण कुमार मल्लिक और महाद्वीपीय सलाहकार श्री दृगपाल सिंह एवं श्रीमती भावना अनबरासन की उपस्थिति में 20 और 21 जुलाई, 2019 को दो दिवसीय अन्तर्राज्यीय संस्थागत सम्मेलन पटना में सम्पन्न हुआ, जिसमें बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं मध्यप्रदेश के कुल 60 लोगों ने भाग लिया।

बिहार की अद्यतन स्थिति को समग्रताओं में प्रस्तुत करते हुए सचिव ने बताया कि युगावतार बहाउल्लाह का प्रकटीकरण एवं उनकी दिव्य शिक्षा परिवार एवं कारण भी समुदाय निर्माण की प्रक्रिया ने एक नये क्षितिज को प्राप्त किया है तथा 600 मित्रों ने प्रभुधर्म में आस्था भी व्यक्त की है।

इसके अलावा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश राज्यों की अद्यतन स्थिति के बारे में भी बताया गया।

महाद्वीपीय सलाहकार द्वै ने उपरोक्त सभी राज्यों के अवलोकनोपरांत बताया कि क्लस्टरों का अभिगमन एवं सभी मूलगतिविधियों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि का मूल कारण क्लस्टर एवं समुदाय के स्तर पर नाभिकों की



बिहार में आयोजित अंतर्राज्यीय संस्थागत सम्मेलन के प्रतिभागी

समुदाय के रूपातंरण का कारण बने इस निमित्त समुदाय की वास्तविकता का पठन एवं बहाउल्लाह की दृष्टि को समझना आवश्यक है; और बिहार के मित्रों ने इस उद्यम में काफी सीख अर्जित की है।

मूलगतिविधियों के संदर्भ में बताया गया कि यहाँ एक वर्ष के दौरान मूलगतिविधियों में दोगुना वृद्धि हुई है। यहाँ कुल स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की संख्या–45 है, जिसमें अग्रिम एवं उन्नत स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की संख्या–18 है। बिहार के उन्नत समुदाय–समूह में गत एक वर्ष के दौरान विशेष गृह–भ्रमण अभियान एवं ग्रुप ऑफ़ फैमिली की अवधारणा तथा क्लस्टर विकास समिति की सक्रियता के संख्या का बढ़ना तथा उसमें हो रही नित–नई क्षमता का विकास है। दूसरी बात कि रूही पुस्तक–10 की इकाई–1 के अध्ययन से भी यहाँ परामर्श की प्रक्रिया काफी प्रगाढ़ हुई है तथा अग्रणी क्लस्टर ने अपने पड़ोसी समुदाय–समूह को मदद करना प्रारंभ किया है।

विश्व न्याय मंदिर के सदस्य, श्री प्रवीण कुमार मल्लिक ने सम्मेलन के दौरान यह आत्मसात् किया कि विभिन्न राज्यों की संस्थागत क्षमता बढ़ी है कि कैसे कम समय में अपने राज्यों की वास्तविकताओं को प्रस्तुत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, श्री मल्लिक ने कहा कि विभिन्न राज्यों में समीक्षा का प्रतिमान व्यवस्थित हुआ है, लोगों

शेष पृष्ठ 3 पर

महाराष्ट्र में बाढ़ से तबाही
सेवा में लिप्त बहाई

• कोल्हापुर में पिछले महीने हुई लगातार बारिश से बाढ़ और भारी तबाही की स्थिति बन गई। पूरा शहर जलमग्न हो गया, अनेक गांव और निचले इलाके बाढ़ के पानी से घिर गये हैं। बिजली, भोजन, पेट्रोल और डीजल की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कोल्हापुर के स्कूलों एवं विवाह स्थलों में राहत शिविर लगाये गये और उच्च न्यायालय ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत देने के लिए कहा। सहायक मण्डल सदस्य के अधिकारी के साथ मिलकर काम किया। एक टीम बनाई गई, और जो बाढ़ से अधिक प्रभावित नहीं थे ऐसे किशोरों के अभिभावकों से योगदान एकत्रित किया गया। 20 मित्रों के एक समूह ने जिसमें किशोर, सहायक मण्डल सदस्य, अनुप्रेरक और शिक्षक शामिल थे, उन्होंने अत्यधिक बारिश के बावजूद 25 किलो चावल और दाल के साथ दो हजार रुपये भी एकत्रित किये। कोल्हापुर के कुछ बहाई मित्रों के साथ अनुप्रेरकों और शिक्षकों



कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराते हुए बहाई मित्रगण

प्रोत्साहन पर शिक्षकों, समन्वयकों, अनुप्रेरकों और किशोरों सहित बहाई समुदाय ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया।

कोल्हापुर का एक पड़ोस बावड़ा बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित था इसलिए सहायक मण्डल सदस्य, शिक्षक, अनुप्रेरक और यहाँ तक कि उन अनुप्रेरकों ने, जिन्होंने अपनी कक्षाएँ बंद कर दी थीं, अपने मित्रों को साथ लाए, साथ में प्रार्थना की और परामर्श किया तथा सहायता प्रदान करने के लिए आगे आये। बावड़ा के एक स्कूल और हॉल में फंसे 300 बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए लगातार दो दिनों तक उन्होंने भोजन तैयार किया और उन्हें खिलाया। जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया, क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका ने सात हजार रुपये का योगदान दिया। जरूरी समान का एक बैग बनाकर वितरित किया। बहाई मित्रों ने सामान वितरित करते हुए बहाई समुदाय, किशोर कार्यक्रम और बच्चों की बहाई कक्षाओं के बारे में परिवारों के साथ बातचीत की। कगल गांव के एक अन्य किशोर ने अपने अनुप्रेरक के साथ परिवारों को पीने का पानी भी वितरित किया। इस बात की प्रसन्नता है समूह ने पूरी एकता, ईमानदारी और समर्पण के साथ देर रात तक काम किया।



जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं के पैकेट बांटते हुए

बाढ़ की तबाही में युवाओं और किशोरों द्वारा किए गए प्रयासों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके पास अपार क्षमता है और एक बेहतर विश्व के निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर टिकी हुई है।

• अगस्त माह के पहले सप्ताह में हुई तेज बारिश और जल प्रवाह को सुव्यवस्थित रखने के आभाव के कारण महाराष्ट्र के सांगली को बाढ़ का सामना करना पड़ा। बाढ़ से पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य सतत रूप से चल रहा था और उन लोगों की सहायता करने के लिए प्रशासन, प्रख्यात व्यक्ति और अन्य संस्थायें



सांगली के बहाई बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री के पैकेटों के साथ

आगे आये। ऐसे में बहाई समुदाय भी कैसे पीछे रह सकता था, तो बहाई समुदाय ने भी जीतना हो सका उतना सहयोग प्रदान किया।

लगभग 40 पीड़ित लोगों ने बहाई भवन में आश्रय लिया, जिनमें बच्चे, महिला, पुरुष और बुजुर्ग भी शामिल थे। उनके रहने की व्यवस्था के अलावा खाने–पीने और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया।

पहले दिन से ही बहाई मित्रों ने अपने परिवार, मित्रों को और पड़ोस के लोगों से सहायता करने का आग्रह किया। लोगों की मदद



सांगली में बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर

और सभी के सहयोग के साथ हजारों लोगों का पेट भरने में समर्थ रहे। नाशिक शहर से आये बहाई डॉक्टर और उनके समूह के साथ मिलकर अलग अलग जगह चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बना रहे।

सांगली शहर बहाई गतिविधियों के मामले में भी बहुत आगे है यहां हजार से भी अधिक गतिविधियां चल रही हैं। सांगली शहर में हनुमान नगर मोहल्ला है, जहाँ के सभी परिवार किसी ना किसी रूप से बहाई गतिविधियों में शामिल हैं, उस परिसर के सभी घरों से मदद का आवाहन किया और घर–घर जाकर सभी से कुछ न कुछ एकत्रित किया। युवा, किशोर एवं बच्चों सहित शिक्षक और अनुप्रेरक सबने अति उत्साह के साथ इस कार्य में अपना योगदान दिया।

जरूरी सामग्री के छोटे–छोटे पैकेट बनाये गये, जो बाढ़ से पीड़ित लोगों को दिया गए। जब बाढ़ कम हो रही थी और लोग अपने घर लौट रहे थे तब लगभग 700 परिवारों में ये घर–घर जाकर बांटे गए।

बाढ़ के कारण कई बच्चों की किताबें, कापी जैसी शैक्षणिक सामग्री भी खराब हो गयी तो उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए भी बहाई समुदाय ने उन्हें कुछ शैक्षणिक सामग्री एक स्कूल या गांव में जाकर बच्चों को देने का निर्णय लिया।

बहाई समुदाय द्वारा चलाये गए इस अभियान में ना कि सिर्फ बहाई लोगों का सहयोग मिला, बल्कि हमारे अन्य मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिला। इस दौरान कई नए लोगों को प्रभुधर्म और बहाई सिद्धांतों के बारे में ज्ञात हुआ।

सांगली के मित्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि सहायता का एक उपयुक्त स्तर प्रोत्साहन के शब्दों से अधिक कारगर होता है।

बिहार में दो दिवसीय अन्तर्राज्यीय संस्थागत सम्मेलन सम्पन्न

पृष्ठ 1 का शेष

ने बड़ी संख्या में मानव संसाधनों को तैयार करना; संस्थान प्रक्रिया में आमंत्रित करना, रूही संस्थान की पुस्तकों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना; सेवा गतिविधियों में मित्रों को शामिल करना, व्यक्तियों के समूह को मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करना, मार्गदर्शन का अध्ययन तथा परामर्श करना सीखा है।

श्री मल्लिक ने यह भी कहा कि बहाउल्लाह का आगमन सम्पूर्ण मानवजाति के लिए हुआ है अतएव, हमें पूरी मानवजाति को बहाउल्लाह के प्रकटीकरण को समझने में मदद करनी होगी और इस कार्य में हमारे कदम आत्मविश्वास एवं दृढ़ता के साथ रखे जाने चाहिए और ऐसे भी संविदा के प्रति प्रेम हमें ऊर्जा देता है अतः हमें अपने पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति का बहाउल्लाह एवं विश्व न्याय मंदिर के प्रति प्रेम होगा तभी हमारी पहल फलदायी हो सकती है। तत्वतः केन्द्रीय विभूति एवं विश्व न्याय मंदिर को समझना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी गतिविधियों में स्त्री–पुरुष के समानुपात को भी दृष्टि में रखना चाहिए।

मित्रों ने बिहार के उन्नत समुदायसमूहों में चल रहीं गतिविधियों की भी जानकारी दी।

परिवारों के समूह द्वारा की जाने वाली प्रार्थना सभा के संदर्भ में बताया कि ऐसे समूह में 4 से 6 परिवार के सदस्य एक साथ मिल–बैठकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सभा के दौरान अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं तथा ऐसी बैठकों के आयोजन के लिए समूह के मित्र बारी–बारी से अपने घरों को प्रार्थना सभा के लिए खुले रखते हैं तथा मित्रों को आमंत्रित करते हैं जिसके कारण संबंधों में प्रगाढ़ता आती है तथा कई संभावनाएँ उभरकर सामने आती हैं, साथ ही, क्लस्टर विकास सहयोगी एवं उपक्षेत्रीय विकास सहयोगी का कार्य आसान हो जाता है।

बिहारशरीफ के स्थानीय बहाई उपासना गृह के बारे में चर्चा करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें बताया गया कि उपासना गृह सामुदायिक जीवन का आध्यात्मिक केन्द्र तथा समुदाय का मुकुट व पहचान होता है। एतदर्थ, हमें स्थानीय बहाई उपासना गृह की संकल्पनाओं को समझना होगा तथा बिहार के सभी 209 समुदाय जहाँ सम्प्रति, कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उन्हें इस ओर अपना ध्यान संकेन्द्रित करना होगा; समुदाय को अभी से ही इसके लिए तैयार करना होगा; समीक्षा के प्रत्येक अवसरों पर इस विषय पर चर्चा सुनिश्चित करनी होगी; अधिक–से–अधिक समुदायों एवं परिवारों में मंदिर निर्माण को लेकर जन–जागृति अभियान चलाने होंगे ताकि मित्र जीवन के दो अनिवार्य एवं अविभाज्य पक्ष सेवा एवं उपासना को एकीकृत रूप में आत्मसात कर सकें।

सम्मेलन के दौरान त्याग, उत्सर्ग एवं शौर्य से भरी दिव्यात्मा बाब की 200वीं जयंती की तैयारी को लेकर भी परामर्श किया गया कि जिस प्रकार युगावतार बहाउल्लाह की 200वीं जयंती ऐतिहासिक रही उसी प्रकार दिव्यात्मा बाब की 200वीं जयंती भी ऐतिहासिक हो, इस हेतु आवश्यक है कि अधिक–से–अधिक अनुयायियों को इस जन्मोत्सव में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो।

बैठक में उपस्थित विश्व न्याय मंदिर के सदस्य, श्री प्रवीण कुमार मल्लिक ने कहा कि दिव्यात्मा बाब की 200वीं जयंती को लेकर विश्व न्याय मंदिर द्वारा जल्द ही एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर मित्रों को समुदाय के साथ वार्तालाप करने में मदद मिलेगी। 1 जून 2018 के पत्र का अध्ययन भी उपयोगी साबित हो सकता है। श्री मल्लिक ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि उक्त अवसर पर विश्व न्याय मंदिर द्वारा पुनः फिल्म रिलीज की जायेगी।

कार्यक्रम के अंत में, परिषद की ओर से उपस्थित सभी मित्रगणों को धन्यवादज्ञापन दिया गया।

झारखण्ड की गतिविधियाँ

• जमशेदपुर के बहाई केंद्र में 10 से 12 अगस्त 2019 तक किशोर समूह से सम्बंधित तीसरी पुस्तक संख्याओं पर विचार का अध्ययन हुआ, जिसमें जमशेदपुर, मानगो, पटमदा, आसनबनी, तमाड़ से लगभग 20 अनुप्रेरकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अनुप्रेरकों की क्षमताओं का विकास करना था, जिससे वे किशोरों को अधिक से अधिक किशोर समूह की पुस्तकों से जोड़ सकें और किशोरों की आध्यात्मिक, भौतिक, बौद्धिक क्षमताओं के विकास में मदद कर सकें। इन तीन दिन मित्रगण संख्याओं का अस्तित्व, उत्पत्ति, दैनिक जीवन में महत्व जैसे कई तत्वों से परिचित हुए। साथ ही, मित्रों ने पुस्तक के संपूर्ण भागों का अध्ययन किया और अभ्यास कार्य भी पूर्ण किया। पुस्तक की समाप्ति पर कई अनुप्रेरकों में नई ऊर्जा की झलक दिखाई दी और उन्होंने साझा किया कि जब किशोर इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही उनके अंदर एक नई क्षमता का विकास होगा। सभी मित्रों ने युगावतार बहाउल्लाह और विश्व न्याय मंदिर को धन्यवाद दिये और अंत में सभी अनुप्रेरकों ने अपनी एक योजना भी तैयार की।



जमशेदपुर में आयोजित तीसरी पुस्तक का अध्ययन करने वाले प्रतिभागी

• जमशेदपुर बहाई केंद्र में ही 12 से 16 जुलाई 2019 तक राज्यस्तरीय रुही पुस्तक–6 से संबंधित शिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रुही पुस्तक–6 के अध्ययन के साथ–साथ प्रत्यक्ष शिक्षण किया गया। इस सेमिनार में जमशेदपुर, आसनबनी, तमाड़, पटमदा, मानगो, चांडिल, चंदनक्यारी, सिल्ली, इत्यादि क्लस्टरों से कुल 40 मित्रों ने भाग लिया। इस सेमिनार के दौरान मित्रों ने शिक्षण का आध्यात्मिक स्वरूप, शिक्षण के अपेक्षित गुण और प्रवृत्तियाँ, शिक्षण कार्य, जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से परिचित हुए। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष शिक्षण की क्षमता को बढ़ाना, जमशेदपुर क्लस्टर में प्रत्यक्ष शिक्षण के माध्यम से मित्रों को बहाउल्लाह से जोड़ना, महात्मा बाब की द्वि–शताब्दी का संदेश देना, साथ ही, जमशेदपुर क्लस्टर में 200 भक्तिपरक सभाओं का आयोजन करना एवं नई मूल गतिविधियों की स्थापना करना था। पूरे पाँच दिनों तक पुस्तक–6 की पूरी इकाइयों का अध्ययन संपन्न नहीं हो सका, परंतु यह योजना तैयार की गयी की बचे हुए भागों को जल्द से जल्द तैयार किया जायेगा। सेमिनार के दौरान गीत–संगीत की भी प्रस्तुति मित्रों द्वारा की गयी तथा सेमिनार के प्रत्येक दिन जमशेदपुर के 9 मोहल्लों में प्रत्यक्ष शिक्षण किया गया, जिसके दौरान 161 नई प्रार्थना सभा, संभावित स्टडी सर्कल–10, बच्चों की बहाई कक्षायें–17, किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम–12, घोषणा–35 आदि उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं।



रूही पुस्तक–6 का अध्ययन करने वाले मित्रगण

Regd. No. DELHIN / 1966 / 04204 | Delhi Postal Regd No. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
New Delhi P.S.O. | Licensed to post without pre-payment No. U (C)-52/2018-19-20

मध्यप्रदेश में आयोजित गतिविधियाँ

पृष्ठ 1 का शेष

प्रति उनकी सोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी, वह चिन्तित हो रहे थे कि आज का समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसमें हम मिलकर किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं।

भक्तिपरक बैठक के महत्व और उसके प्रभाव पर विचार–विमर्श किया गया, जिसे सुनकर मित्रों ने कहा कि इस प्रकार की बैठक गांव में जल्दी जल्दी होना जरूरी है ताकि हम सब एक जगह बैठकर समुदाय में व्याप्त सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों पर आपस में परामर्श कर सकें।

कनकटपुरा : 10 अगस्त 2019 को कनकटपुरा सामुदायिक विद्यालय के शिक्षकों और वहां के स्थानीय नाभिक के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें वहां के युवामित्रों ने कनकटपुरा गांव में एवं सामुदायिक विद्यालय के अन्दर चल रही प्रमुख गतिविधियों के बारे में अपने विचार एक–दूसरे के साथ साझा किये। मित्रों ने बताया कि आध्यात्मिक सभा, समूह विकास समिति और समुदाय के बहाई मित्रगण के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र से प्राप्त प्रपत्र जुलाई 2019 "दिव्यात्मा बाब के जन्म के द्विशताब्दी समारोह की तैयारी" का गहन अध्ययन किया गया और एक–एक गद्यांश के अनुसार, बाब की द्विशताब्दी समारोह से पहले बचे हुये शेष दिनों की एक वास्तविक योजना बनायी। मित्रों ने महात्मा बाब के जन्मोत्सव को कई प्रकार से और अलग–अलग जगहों पर मनाने के विषय में गहन परामर्श किया। समुदाय में चल रही विकास की गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों के घरों में गृहभ्रमण और भक्तिपरक बैठक की शुरूआत करने के साथ–साथ परिवार के समूहों के साथ कार्य करने पर भी कई प्रकार के विचार–विमर्श किये गये। बैठक के दौरान सभी मित्रों ने परामर्श की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और समुदाय की क्षमताओं को देखते हुए अधिक से अधिक मित्रों को संस्थान प्रक्रिया में जोड़ने पर जोर दिया।



कनकटपुरा में आयोजित बैठक के दौरान प्रतिभागी परामर्श करते हुए

कनकटपुरा में 35 घर हैं जिसमें से कई परिवार प्रार्थना सभाओं में शामिल होने लगे हैं। कनकटपुरा के अधिकतर बच्चे और किशोर कार्यक्रम से पूरी तरह जुड़ चुके हैं और जो बचे हैं उनको शामिल करने की योजना है। यहां पर प्रतिदिन किसी न किसी परिवार में भक्तिपरक बैठक का आयोजन होता है।

ग्वालियर : ग्वालियर स्थानीय

मित्रों ने प्रपत्र से प्राप्त विचारों और नई अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुये महात्मा बाब के जन्मोत्सव तक और उसके बाद के समय के बारे में मिलकर योजना बनाई, जिसको एक–दूसरे के साथ बड़े ही उत्साह के साथ साझा किया।

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के संबंध में बहाउल्लाह का विधान

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के विधानों का सिंहावलोकन और इनकी उपयुक्तता

"संक्षेप में, मृतक को भूमिगत किए जाने सम्बन्धी बहाई विधान में यह कहा गया है कि मृतक की देह मृत्यु स्थल से एक घंटे से अधिक दूरी तक न ले जाएं, मृत देह को रेशम या सूत के कफन से ढका जाए और उसकी अँगुली में अँगूठी धारण कराई जाए जिस पर यह अंकित हो : *"मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ था/हुई थी और उसी के पास वापस जा रहा/रही हूँ – उसके सिवा अन्य सबसे विरक्त होकर और उस दयालु, करूणावान के नाम को दृढ़ता से थामे हुए।"* शव–पेटिका स्फटिक पत्थर या उत्कृष्ट लकड़ी की बनी हो। दिवंगतों के लिए एक विशेष प्रार्थना निर्धारित की गई है जिसका पाठ मृतक की देह को भूमिगत किए जाने से पहले किया जाता है। जैसाकि अब्दुल बहा और धर्मसंरक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया है, इस विधान में मृतक के दाह–संस्कार का निषेध किया गया है। औपचारिक प्रार्थना और अँगूठी का प्रावधान 15 साल से अधिक आयु वाले वयस्क बहाइयों के लिये है।"

(किताब–ए–अक़दस : परम पावन पुस्तक, टिप्पणी, 149)

मृतक को भूमिगत करने के लिये पूरी दुनिया में फिलहाल जो ज़रूरतें हैं वे ये कि मृतक को एक शव–पेटिका में भूमिगत किया जाये (दाह–संस्कार न किया जाये), मृत्यु–स्थल से एक घंटे से अधिक की यात्रा शव के साथ न की जाये और मृतक 15 साल से अधिक उम्र का बहाई है तो उसकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की जाये।

(किताब–ए–अक़दस' के विधान जो व्यापक रूप से अभी व्यवहार में नहीं आये हैं" शीर्षक प्रलेख के अंश, मार्च 2016, विश्व न्याय मंदिर द्वारा अनुमोदित)

क्रमशः

राष्ट्रीय कार्यालय में सेवा का अवसर

ऐसे युवा जो एक या दो वर्षों के लिए दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को अपनी सेवायें प्रदान करना चाहते हैं और उनमें निम्नलिखित योग्यतायें हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं।

आवश्यकता योग्यता

- व्यक्ति के पास सिविल इंजीनियर/सिविल डिप्लोमा होना आवश्यक है
- व्यक्ति को योजना और निर्माण कार्य की जानकारी होनी चाहिए
- व्यक्ति को इस क्षेत्र में कार्य का एक या दो साल का अनुभव हो तो यह बहुत अच्छा होगा
- व्यक्ति को राज्यों की सम्पत्तियों हेतु यात्रा करने के लिए तत्पर हो चाहिए

इच्छुक व्यक्ति कार्मिक विभाग को personnel@ibnc.in पर लिखें और उसकी एक प्रति nsaindia@ibnc.in पर भी भेजें।

कुल पृष्ठ संख्या–4

बहाई समाचारपत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित फार्म – 4, नियम 8

समाचार का नाम : बहाई समाचारपत्र
रजि नं. : DELHIN / 1966 / 4204 यू नं. (C)-52/2018-19-20
डी.एल. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
प्रकाशक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
(बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1)
प्रकाशन स्थान : बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1

मुद्रक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1
मुद्रण स्थान : श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110020
उन व्यक्तियों के नाम जो समाचारपत्र स्वामी हों : राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को इसका स्वामित्व प्राप्त है, जो सोसायटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

Licenced to post without Pre-Payment Posted at CPSO New Delhi on 10/11.9. 2019
Sender's Address:
6, Shrimant Madhavrao Scindia Marg.
New Delhi - 110 001 - INDIA

स्वामी, भारत के बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, जो सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, के लिए प्रकाशक, मुद्रक : सुशील कुमार के द्वारा श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 020 से मुद्रित एवं बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित (सम्पादक : सुशील कुमार)